समावेशी विकास के संदर्भ में भारत की सामाजिक नीति का मूल्यांकन

*डॉ आशुतोष मीणा

सारांश :

भारत की सामाजिक नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना है। समावेशी विकास की अवधारणा के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास का लाभ केवल कुछ वर्गों तक सीमित न रहकर गरीब, ग्रामीण, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी नागरिकों तक पहुँचे। इसी उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अनेक योजनाएँ लागू की गई हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा महिला एवं बाल विकास योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा एवं मानव विकास को मजबूत किया है। इन नीतियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला है। हालाँकि, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता, बेरोजगारी तथा ग्रामीण-शहरी असमानता जैसी चुनौतियाँ सामाजिक नीतियों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इसलिए पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन एवं प्रभावी नीति क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। समग्र रूप से देखा जाए तो भारत की सामाजिक नीति समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बीज शब्द : समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, डिजिटल प्रशासन।

1. प्रस्तावना

सामाजिक नीति किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकास का महत्वपूर्ण आधार होती है। यह राज्य द्वारा निर्मित उन नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुच्चय है जिनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय एवं समान अवसरों को सुनिश्चित करना होता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं विकासशील देश में सामाजिक नीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता तथा सामाजिक विषमता जैसी अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं। सामाजिक नीति इन समस्याओं के समाधान के साथ-साथ समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से

जोड़ने का कार्य करती है। सामाजिक नीति की अवधारणा कल्याणकारी राज्य की विचारधारा पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा मानव गरिमा को सुनिश्चित करना भी है। टी. एच. मार्शल ने सामाजिक नीति को नागरिकों के सामाजिक अधिकारों से जोड़ा तथा इसे सामाजिक समानता स्थापित करने का माध्यम माना। भारत में सामाजिक नीति संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों, मौलिक अधिकारों तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा से प्रेरित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, बच्चे तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक नीतियाँ एवं कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गई हैं।

समावेशी विकास का अर्थ ऐसा विकास है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों तथा विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचें। केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं मानी जाती, बल्कि यह आवश्यक है कि विकास का लाभ गरीब, ग्रामीण, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों तक भी पहुँचे। इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा महिला एवं बाल विकास योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन नीतियों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।

यह शोध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में आर्थिक विकास के बावजूद सामाजिक असमानता, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताएँ अभी भी बनी हुई हैं। सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, उनकी चुनौतियों तथा समावेशी विकास में उनकी भूमिका का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह शोध भारत की सामाजिक नीति का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा तथा भविष्य में अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुख सामाजिक नीतियों के निर्माण के लिए सुझाव प्रदान करेगा।

2. शोध के उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारत की सामाजिक नीति की प्रकृति, उद्देश्य एवं विकास प्रक्रिया का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सामाजिक नीतियों की भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। शोध में यह विश्लेषण किया जाएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीतियाँ समाज के विभिन्न वर्गों को किस प्रकार लाभान्वित करती हैं। साथ ही, सामाजिक नीति के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों, जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता एवं असमानता, का अध्ययन किया जाएगा। यह शोध सामाजिक न्याय एवं जनकल्याण को सुदृढ़ बनाने हेतु सुधारात्मक सुझाव भी प्रस्तुत करेगा।

3. साहित्य समीक्षा

सामाजिक नीति एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। टी. एच. मार्शल (1950) ने सामाजिक नीति को नागरिकों के सामाजिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि राज्य का दायित्व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। रिचर्ड टिटमस

(1974) ने सामाजिक नीति को सामाजिक कल्याण एवं समानता स्थापित करने का माध्यम माना। उनके अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर हेरोल्ड लैस्की (1948) ने बल देते हुए कहा कि राज्य केवल कानून एवं व्यवस्था तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसे नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार अमर्त्य सेन (1999) ने मानव विकास एवं सामाजिक न्याय को विकास का प्रमुख आधार माना। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समान अवसरों को समावेशी विकास के लिए आवश्यक बताया।

भारत की सामाजिक नीतियों पर अनेक शोध किए गए हैं। एम. वी. मूर्ति (2001) ने भारतीय सामाजिक नीति को गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक न्याय से संबंधित बताया। नीति आयोग (2018) की रिपोर्टों में समावेशी विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विश्व बैंक (2006) ने सामाजिक असमानता को विकास में प्रमुख बाधा माना।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक नीति एवं कल्याणकारी योजनाओं पर व्यापक शोध हुए हैं, किंतु भारत में सामाजिक नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समावेशी विकास के वास्तविक परिणामों पर अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों पर सामाजिक नीतियों के दीर्घकालिक प्रभावों के संबंध में अधिक शोध की आवश्यकता है। यही इस अध्ययन का प्रमुख शोध अंतराल है।

4. सैद्धांतिक ढाँचा

इस शोध का सैद्धांतिक आधार सामाजिक नीति, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। इन सिद्धांतों के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि राज्य किस प्रकार सामाजिक कल्याण एवं मानव विकास को बढ़ावा देता है। सबसे प्रमुख सिद्धांत कल्याणकारी राज्य सिद्धांत (Welfare State Theory) है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्य केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना भी है। हेरोल्ड लैस्की (1948) के अनुसार राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। इसी प्रकार रिचर्ड टिटमस (1974) ने सामाजिक नीति को सामाजिक समानता एवं कल्याण स्थापित करने का माध्यम माना। भारत में यह सिद्धांत संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ इसी अवधारणा पर आधारित हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक न्याय सिद्धांत (Social Justice Theory) है। जॉन रॉल्स (1971) ने अपने न्याय सिद्धांत में समान अवसर एवं संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल दिया। उनके अनुसार

समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कमजोर एवं वंचित वर्गों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। आरक्षण नीति, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम इसी सिद्धांत को मजबूत करते हैं।

तीसरा सिद्धांत मानव विकास सिद्धांत (Human Development Theory) है, जिसे अमर्त्य सेन (1999) तथा महबूब उल हक ने विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं क्षमताओं में सुधार करना है। मानव विकास सिद्धांत समावेशी विकास को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक नीति को मानव कल्याण का आधार मानता है। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाएँ इसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं।

5. शोध पद्धति

इस शोध में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। अध्ययन हेतु सामाजिक नीति, समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय से संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों, जर्नलों तथा प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना आँकड़ों तथा मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों का उपयोग किया जाएगा। नीति आयोग, विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्टों से प्राप्त आँकड़ों एवं तथ्यों का अध्ययन भी किया जाएगा। शोध में उपलब्ध सामग्री का गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति से मूल्यांकन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएँगे।

6. भारत में सामाजिक नीति का विकास

भारत में सामाजिक नीति का विकास ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों से प्रभावित रहा है। स्वतंत्रता पूर्व काल में अनेक सामाजिक सुधार आंदोलनों ने सामाजिक न्याय एवं समानता की भावना को मजबूत किया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन एवं महिला शिक्षा के लिए कार्य किया, जबकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह एवं शिक्षा सुधारों को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन, ग्राम स्वराज एवं सामाजिक समानता पर बल दिया। इन आंदोलनों ने भारत में सामाजिक नीति की आधारभूमि तैयार की।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने स्वयं को एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया। सामाजिक नीति का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय एवं समान अवसर सुनिश्चित करना बना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अनेक नीतियाँ एवं योजनाएँ प्रारंभ की गईं। भूमि सुधार, हरित क्रांति तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया।

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रमुख आधार है। संविधान के मौलिक अधिकार नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमा प्रदान करते हैं। वहीं नीति-निर्देशक तत्व राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था तथा सामाजिक संरक्षण के प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत करते हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता एवं न्याय को संविधान का मूल आधार माना।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली पंचवर्षीय योजना से ही कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। बाद की योजनाओं में गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास एवं रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया। मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

7. समावेशी विकास में सामाजिक नीति की भूमिका

भारत में सामाजिक नीति समावेशी विकास को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना है। विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में सामाजिक नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

(क) शिक्षा एवं स्वास्थ्य

शिक्षा एवं स्वास्थ्य किसी भी समाज के विकास के आधार माने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना है। इस योजना ने विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने एवं बाल शिक्षा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त पोषण एवं जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे आंगनवाड़ी सेवाएँ, मध्यान्ह भोजन योजना एवं टीकाकरण अभियान, ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायता की है। इन नीतियों ने मानव विकास सूचकांकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ख) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने तथा गरीबी कम करने में सहायक रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से गरीब परिवारों को खाद्यान्न

उपलब्ध कराया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने तथा गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ग) महिला एवं कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सामाजिक नीतियाँ लागू की गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएँ महिला शिक्षा एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) जैसे बाल विकास कार्यक्रम बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सुदृढ़ करते हैं। इन नीतियों ने सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

8. प्रमुख चुनौतियाँ

भारत में सामाजिक नीतियों के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने के अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ये समस्याएँ सामाजिक न्याय एवं समान अवसरों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती गरीबी एवं बेरोजगारी है। देश में आर्थिक विकास के बावजूद बड़ी संख्या में लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बेरोजगारी विशेष रूप से युवाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे सामाजिक असमानता एवं आर्थिक असुरक्षा बढ़ती है।

सामाजिक एवं आर्थिक असमानता भी समावेशी विकास के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधा है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक अंतर पाया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ एवं ग्रामीण समुदाय आज भी विकास के लाभों से पूर्ण रूप से वंचित हैं। भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अक्षमता सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता। संसाधनों का दुरुपयोग, लालफीताशाही तथा प्रशासनिक विलंब योजनाओं की सफलता में बाधा उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी विकास में अंतर भी एक गंभीर समस्या है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं रोजगार की सुविधाएँ कम विकसित हैं। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है तथा ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर प्रभावित होता है।

इसके अतिरिक्त नीति क्रियान्वयन की समस्याएँ भी महत्वपूर्ण हैं। योजनाओं की उचित निगरानी, मूल्यांकन एवं जनसहभागिता की कमी के कारण कई सामाजिक नीतियाँ अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पातीं। इससे समावेशी विकास के उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते।

9. सुधारात्मक सुझाव

भारत में समावेशी विकास को प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक नीतियों में सुधार एवं उनके सफल क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाना चाहिए। योजनाओं की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ सामाजिक विकास का आधार हैं। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों, अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या एवं गुणवत्ता बढ़ाने से मानव विकास को गति मिलेगी। विशेष रूप से गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क एवं सुलभ सेवाएँ सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डिजिटल प्रशासन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। ई-गवर्नेंस एवं ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचाए जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया जैसी पहलें भ्रष्टाचार कम करने तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। जनसहभागिता एवं जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। ग्राम सभाओं, सामाजिक अंकेक्षण एवं जनसुनवाई जैसी प्रक्रियाओं को मजबूत कर नागरिकों को नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहभागी बनाया जाना चाहिए। इससे योजनाओं की प्रभावशीलता एवं जवाबदेही बढ़ेगी।

इसके अतिरिक्त कमजोर वर्गों के लिए लक्षित योजनाएँ अधिक प्रभावी ढंग से लागू की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, बच्चे एवं ग्रामीण गरीबों के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने से सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास को मजबूत किया जा सकता है।

10. निष्कर्ष

इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि भारत की सामाजिक नीतियाँ समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों ने समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में योगदान दिया है। मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा महिला कल्याण योजनाओं जैसे कार्यक्रमों ने सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायता प्रदान की है। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता तथा ग्रामीण-शहरी असमानता जैसी चुनौतियाँ सामाजिक नीतियों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता एवं प्रभावी नीति क्रियान्वयन आवश्यक हैं। भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं डिजिटल प्रशासन पर अधिक ध्यान देकर सामाजिक नीतियों को और अधिक जनोन्मुख बनाया जा सकता है। जनसहभागिता एवं कमजोर वर्गों के लिए लक्षित योजनाओं को मजबूत कर समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

***एसोसिएट प्रोफ़ेसर-लोक प्रशासन**
राजकीय महाविद्यालय नांगल राजावतान,
दौसा (राजस्थान)

11. संदर्भ सूची

1. टी. एच. मार्शल. (1950): सिटिजनशिप एंड सोशल क्लास, लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ. 28–56।
2. रिचर्ड टिटमस. (1974): सोशल पॉलिसी: एन इंट्रोडक्शन, लंदन, एलन एंड अनविन। पृ. 44–79।
3. हेरोल्ड लैस्की. (1948): द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस , लंदन, विक्टर गोलांज। पृ. 90–118।
4. अमर्त्य सेन. (1999): डेवलेपमेंट एज फ्रीडम , न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ. 72–110।
5. महबूब उल हक. (1995): रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलेपमेंट , न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ. 35–67।
6. जॉन रॉल्स. (1971): ए थ्योरी ऑफ जस्टिस , कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ. 52–88।
7. एम. वी. मूर्ति. (2001): *भारत में सामाजिक नीति एवं विकास,* नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन। पृ. 101–136।
8. ए. आर. देसाई. (1976): सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मुंबई, पॉपुलर प्रकाशन। पृ. 140–172।
9. डॉ. भीमराव अंबेडकर. (1948): *संविधान सभा वाद-विवाद,* नई दिल्ली, भारत सरकार प्रकाशन। पृ. 210–248।
10. नीति आयोग. (2018): *भारत में समावेशी विकास रिपोर्ट,* नई दिल्ली, भारत सरकार। पृ. 32–64।
11. विश्व बैंक. (2006): इक्विटी एंड डेवलेपमेंट रिपोर्ट , वाशिंगटन डी.सी., वर्ल्ड बैंक। पृ. 14–39।
12. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम. (2020): *ह्यूमन* डेवलेपमेंट रिपोर्ट, न्यूयॉर्क, यूएनडीपी। पृ. 55–89।
13. सर्व शिक्षा अभियान. (2015): *शिक्षा प्रगति रिपोर्ट।* नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय। पृ. 22–47।
14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन. (2020): *राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वार्षिक रिपोर्ट।* नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। पृ. 61–95।

15. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम. (2019): *मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट*। नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय। पृ. 40–76।

16. महात्मा गांधी. (1931): *हिंद स्वराज*। अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन। पृ. 85–112।

17. भारत सरकार. (2021): *आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21*। नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय। पृ. 118–150।